सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक –22.08.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना रेढर पुलिस द्वारा डॉयल-112 पर मोटरसाईकिल लूट की झूठी सूचना व वाद-विवाद करने वाले 07 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी ।

दिनांक 21.08.2025 को सूचनाकर्ता श्री दौलत पुत्र मानसिंह नि0परावर की मड़ैया थाना रेंढ़र जनपद जालौन के द्वारा अपने साथियों 1. दिनेश कुशवाहा पुत्र मलखान सिंह 2. राजकुमार कुशवाहा पुत्र श्रीराम निवासीगण परावर की मड़ैया थाना रेंढ़र जनपद जालौन के साथ मिलकर डायल 112 पर सूचना दी गयी कि दिनेश कुशवाहा की मो0सा0 एचएफ डीलक्स नं0 UP92W7271 से ग्राम नावली से अपने घर परावर की मड़ैया जा रहा था, रास्ते मे न्यू गंगा पैलेस बम्बा पुल ग्राम कैनाल की मड़ैया के पास विपक्षी 1. राजेश कुशवाहा 2. हरी सिंह कुशवाहा पुत्रगण फूल सिंह 3. राजकुमार पुत्र मुकुन्दी 4.आनन्द कुशवाहा पुत्र प्रेमसिंह निवासीगण ग्राम कैनाल की मड़ैया थाना रेंढ़र जिला जालौन द्वारा मेरे साथ मारपीट कर, मोटर साईकिल लूट लिये है ।

उक्त सूचना पर थाना प्रभारी रेंढ़र मय पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर जाकर जांच करने पर पाया कि प्रथम पक्ष दिनेश कुशवाहा उपरोक्त द्वारा करीब 08 माह पूर्व डी0जे0 मशीन विपक्षी राजेश कुशवाहा को 37000/- रू0 मे बेची थी परन्तु डी0जे0 सही से काम नही कर रहा था तो राजेश कुशवाह ने डी0जे0 बदलने अथवा वापस लेने की बात कह रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के मध्य पैसे के लेन देन को लेकर वाद-विवाद पाया गया।

पुलिस को लूट की झूठी सूचना देकर गुमराह करना व वाद-विवाद करने के संबन्ध में **प्रथम पक्ष** 1. श्री दौलत पुत्र मानसिंह उम्र करीब 24 वर्ष **2.** दिनेश कुशवाहा पुत्र मलखान सिंह उम्र करीब 26 वर्ष 3. राजकुमार कुशवाहा पुत्र श्रीराम उम्र करीब 23 वर्ष नि0गण परावर की मड़ैया थाना रेंढ़र जनपद जालौन व **द्वितीय पक्ष** 1.राजेश कुशवाहा उम्र करीब 28 वर्ष 2. हरी सिंह कुशवाहा पुत्रगण फूल सिंह उम्र करीब 25 वर्ष 3. राजकुमार पुत्र मुकुन्दी उम्र करीब 27 वर्ष 4.आनन्द कुशवाहा पुत्र प्रेमसिंह उम्र करीब 26 वर्ष नि0गण ग्राम कैनाल की मड़ैया थाना रेंढ़र जनपद जालौन के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मे चालान कर मा0न्यायालय के समक्ष भेजा गया।